

प्रेषक,

राम सिंह,  
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सुभाष उपाध्याय,  
मुख्य स्थायी अधिवक्ता,  
मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 04 अप्रैल, 2016

विषय- मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता के रूप में की गयी आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद से आपकी आबद्धता समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य की ओर से आपकी आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। अतः राज्य से संबंधित समस्त वादों की सूची जिनमें आपके द्वारा पैरवी की जा रही थी, को न्याय विभाग को ई-मेल के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव

संख्या-175(1)/XXXVI(1)/2015-105/2012 TC तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 राज्यपाल महोदय के निजी सचिव, उत्तराखण्ड।
- 2- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड राज्य के निजी सचिव।
- 3- वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल।
- 4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
- 5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
- 7- न्याय अनुभाग-3 / वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(कहकशा खान)  
अपर सचिव